न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील/डिक्री/टी.ए./2237/2005/अलवर

1. **नत्था पुत्र श्री परसा (मृतक) जरिये वारिसान :–**
   - 1/1. मनीराम पुत्र श्री नत्था
   - 1/2. सोहनलाल पुत्र श्री नत्था
   - 1/3. सुवा पुत्र श्री नत्था
   - 1/4. रामजीलाल पुत्र श्री नत्था
   - 1/5. देवीसहाय पुत्र श्री नत्था
   - 1/6. रामखिलाड़ी पुत्र श्री नत्था
   - 1/7. धन्नी पुत्री श्री नत्था
   - 1/8. शक्कूबाई पुत्री श्री नत्था
   - 1/9. शांति पुत्री श्री नत्था
   - 1/10.मन्नी पुत्री श्री नत्था
   - 1/11.रूपा पुत्री श्री नत्था
   - 1/12.शकुंता पुत्री श्री नत्था
   - 1/13.कल्ली पुत्री श्री नत्था

     जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. **हरजी पुत्र श्री काना (मृतक) जरिये वारिसान :–**
   - 2/1. नन्दू राम पुत्र हरजी
   - 2/2. लालाराम पुत्र हरजी
   - 2/3. रामावतार पुत्र हरजी

     समस्त जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
   - **2/4. तुलसा पुत्री हरजी पत्नी बंसीराम (मृतक) जरिये वारिसान :–**
     - 2/4/1. विश्राम पुत्र बंसीराम
     - 2/4/2. विशम्भर पुत्र बंसीराम

       निवासी ग्राम चौमे तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
     - 2/4/3. तोफली पुत्री बंसीराम पत्नी प्रभु निवासी ग्राम पाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
     - 2/4/4. सुगनी पुत्री बंसीराम पत्नी गुरदयाल निवासी ग्राम चौमे तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
     - 2/4/5. लच्छो देवी पुत्री बंसीराम पत्नी राधे निवासी ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
   - 2/5. सुमरती पुत्री हरजी पत्नी बम्बूराम निवासी ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
   - 2/6. भौंती पुत्री हरजी पत्नी चेतराम
   - 2/7. इमरती पुत्री हरजी पत्नी रामावतार

     निवासी खेडली पिचनौत तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. मामचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम
2. **चेतराम पुत्र श्री ख्यालीराम (मृतक) जरिये वारिसान :–**
   2 / 1. गोपाल पुत्र श्री चेतराम
   2 / 2. किशनलाल पुत्र श्री चेतराम
   2 / 3. ओमकार पुत्र श्री चेतराम
   2 / 4. श्रीमती बिमला पुत्री श्री चेतराम
   2 / 5. चम्पा देवी पत्नी श्री चेतराम
   समस्त जाति चमार निवासी ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. हरदेवा पुत्र श्री काना (मृतक) जरिये वारिसान :–
   3 / 1. रामकिशोर पुत्र श्री हरदेवा
   3 / 2. रामस्वरूप पुत्र श्री हरदेवा
   3 / 3. रेशम पुत्री श्री हरदेवा
   3 / 4. रामदेई पुत्री श्री हरदेवा
   3 / 5. बीना पुत्री श्री हरदेवा
   समस्त जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
4. मोहनलाल पुत्र श्री बुद्धा जाति चमार
5. नरेन्द्र पुत्र श्री बुद्धा जाति चमार
   निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक अलवर जिला अलवर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील / डिक्री / टी.ए. / 2238 / 2005 / अलवर

1. **नत्था पुत्र श्री परसा (मृतक) जरिये वारिसान :–**
   1 / 1. मनीराम पुत्र श्री नत्था
   1 / 2. सोहनलाल पुत्र श्री नत्था
   1 / 3. सुवा पुत्र श्री नत्था
   1 / 4. रामजीलाल पुत्र श्री नत्था
   1 / 5. देवीसहाय पुत्र श्री नत्था
   1 / 6. रामखिलाड़ी पुत्र श्री नत्था
   1 / 7. धन्नी पुत्री श्री नत्था
   1 / 8. शक्कूबाई पुत्री श्री नत्था
   1 / 9. शांति पुत्री श्री नत्था
   1 / 10.मन्नी पुत्री श्री नत्था
   1 / 11.रूपा पुत्री श्री नत्था
   1 / 12.शकुंता पुत्री श्री नत्था
   1 / 13.कल्ली पुत्री श्री नत्था

जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।

2. **हरजी पुत्र श्री काना (मृतक) जरिये वारिसान :–**

2/1. नन्दू राम पुत्र हरजी
2/2. लालाराम पुत्र हरजी
2/3. रामावतार पुत्र हरजी
समस्त जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।

2/4. तुलसा पुत्री हरजी पत्नी बंसीराम (मृतक) जरिये वारिसान :–

2/4/1. विश्राम पुत्र बंसीराम
2/4/2. विशम्भर पुत्र बंसीराम
निवासी ग्राम चौमे तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
2/4/3. तोफली पुत्री बंसीराम पत्नी प्रभु निवासी ग्राम पाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2/4/4. सुगनी पुत्री बंसीराम पत्नी गुरदयाल निवासी ग्राम चौमे तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
2/4/5. लच्छो देवी पुत्री बंसीराम पत्नी राधे निवासी ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

2/5. सुमरती पुत्री हरजी पत्नी बम्बूराम निवासी ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2/6. भौंती पुत्री हरजी पत्नी चेतराम
2/7. इमरती पुत्री हरजी पत्नी रामावतार
निवासी खेडली पिचनौत तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. मामचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम
2. **चेतराम पुत्र श्री ख्यालीराम (मृतक) जरिये वारिसान :–**

2/1. गोपाल पुत्र श्री चेतराम
2/2. किशनलाल पुत्र श्री चेतराम
2/3. ओमकार पुत्र श्री चेतराम
2/4. श्रीमती बिमला पुत्री श्री चेतराम
2/5. चम्पा देवी पत्नी श्री चेतराम
समस्त जाति चमार निवासी ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।

3. हरदेवा पुत्र श्री काना (मृतक) जरिये वारिसान :–

3/1. रामकिशोर पुत्र श्री हरदेवा
3/2. रामस्वरूप पुत्र श्री हरदेवा
3/3. रेशम पुत्री श्री हरदेवा
3/4. रामदेई पुत्री श्री हरदेवा

3 / 5. बीना पुत्री श्री हरदेवा
समस्त जाति चमार निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
4. मोहनलाल पुत्र श्री बुद्धा जाति चमार
5. नरेन्द्र पुत्र श्री बुद्धा जाति चमार
निवासी चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक अलवर जिला अलवर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री आर.पी.शर्मा एवं श्रीमती पूनम माथुर : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री खड़ग सिंह : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2
श्रीमती बबीता शर्मा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6

——

दिनांक : 30 / 8 / 2018

निर्णय

अपीलार्थीगण नत्था वगैरह द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 20 / 4 / 2005 (प्रकरण संख्या 107 / 2003 एवं 108 / 2003) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु एवं विधिक कानूनी बिन्दु समान होने तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण एक ही समेकित निर्णय के द्वारा किये जाने के कारण हमारे द्वारा भी उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा हैं, निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावें।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट मामचन्द वगैरह द्वारा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह के विरूद्ध ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित विवादित आराजी कुल किता 26 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा के सम्बन्ध के एक नियमित वाद (संख्या 1 / 20 / 2002) अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह द्वारा रेस्पोडेन्ट

मामचन्द वगैरह के विरूद्ध वाद संख्या 1/31/2002 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ में प्रस्तुत किया गया। उप खण्ड अधिकारी, रामगढ द्वारा उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 2/8/2003 से रेस्पोडेन्ट मामचन्द वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/20/2002 खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/31/2002 को डिक्री कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट मामचन्द वगैरह द्वारा दो पृथक पृथक अपीलें (अपील संख्या 107/2003 एवं 108/2003) राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 20/4/2005 द्वारा स्वीकार कर ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित विवादित भूमि कुल किता 26 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत 2054 में अंकित हक व हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार, रामगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20/4/2005 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त दोनों द्वितीय अपीलें मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि बिश्वेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि का पट्टा धाबाई जी गणेशीलाल द्वारा वर्तमान अपीलार्थीगण को दिया गया था और इस भूमि में हरजी, बुद्धा एवं नत्थी का 1/3 हिस्सा था, जो कि भू प्रबन्ध विभाग के प्राधिकारियों ने रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत से इन्द्राज को बदल दिया और नत्था का हिस्सा 1/3 की बजाय 2/9 तथा बुद्धा का 1/3 की जगह 2/3 एवं इसके अतिरिक्त मामचन्द व अन्य का नाम बिना किसी कारण जोड़ दिया और इसके अतिरिक्त हरजी व हरदेवा का संयुक्त 1/3 हिस्से को बदलते हुए हरजी का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। हमारे द्वारा यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया गया था कि विवादित भूमि हमें पट्टे पर प्राप्त हुई थी तथा हम लोग अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रदर्श A-11, 12, 16, 17 एवं 18 एवं सम्वत 2007–2008 के पट्टे से उपरोक्त तथ्य सिद्ध किये गये। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट ने केवल एक दस्तावेज सम्वत 2014 का प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्हें कोई हक व अधिकार नही दिये जा सकते है। इसके

अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकन करने में विधिक त्रुटि कारित की है कि मोहनलाल तथा नरेन्द्र कुमार के बयान रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है तथा वर्तमान अपीलार्थीगण के द्वारा किये विक्रय पत्र से उनका हक सिद्ध होता है। हमें सम्वत 2014 की गलत प्रविष्टि के बारे में जानकारी तब हुई जब कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट ने दावा दायर किया, किसी भी प्रकार के गलत इन्द्राजातों के बारे में सक्षम न्यायालय में कभी भी चुनौती दी जा सकती है और इसके लिये समयावधि का बिन्दु बाधित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में हमारा ध्यान 2015(2) आर.आर.टी पेज 1007 के न्यायिक दृष्टान्त की ओर आकर्षित किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 2/8/2003 को हमारा दावा विधि अनुरूप डिक्री किया गया और रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज किया था जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में अपीलें प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उलटते हुए रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री कर दिया और हमारे दावे को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है और हमें रिबटल का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आलोच्य निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में हमारा ध्यान 2004 आर.बी.जे. पेज 567 एवं 2000 आर.बी.जे. पेज 497 की ओर आकर्षित किया। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20/4/2005 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है, जबकि विद्वान अधिवक्ता द्वारा 2012 आर.बी.जे. पेज 163, 2000 आर.बी.जे. पेज 300, 2015 आर.बी.जे. पेज 238 एवं 691 में प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने भू प्रबन्ध विभाग के इन्द्राजों के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो गलत है। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग को इन्द्राजों में परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें पूर्व के इन्द्राजातों को ही दोहराना होता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के संबंध में हमारा ध्यान 2015(2) आर.आर.टी. पेज 1214 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 20/4/2005 को पारित आलोच्य निर्णय को निरस्त किया जावें तथा उप खण्ड

अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2/8/2003 को यथावत रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दो नियमित वाद, वाद संख्या 1/20 उनवानी मामचन्द वगैरह बनाम नथ्या व अन्य अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 1/4/2002 को एवं वाद संख्या 1/31 उनवानी नथ्या वगैरह बनाम मामचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 15/5/2002 को प्रस्तुत किया गया। हमारे द्वारा प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2014–2033 प्रस्तुत की गई, जिसमें मामचन्द का हिस्सा 2/9 दर्शाया गया, अर्थात वर्ष 1953 में हमारे नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज थे और वह आज भी लगातार हमारे नाम इसी प्रकार चले आ रहे है। अपीलार्थी द्वारा पट्टे का जो उल्लेख किया गया है, इस पर किसी प्रकार की कोई मुहर का अंकन नही है और इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। हम लोग जागीर उन्मूलन के समय से ही काश्तकार के रूप में दर्ज है और इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है। जहां तक उनके द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद में समयावधि का प्रशन है, उन्हें पूर्ण रूप से यह जानकारी थी और उन्होंने कुछ भूमि हमारे साथ मिलकर दिनांक 28/8/1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेची थी तथा स्वयं का हिस्सा भी इनके द्वारा गिरवी भी रखा गया। अतः यह नहीं माना जा सकता कि इन्हें अपने हिस्से का ज्ञान नहीं था और यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि हमारे द्वारा दावा दायर करने पर उन्हें इस तथ्य की जानकारी हुई। अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के पश्चात विधिसम्मत आलोच्य निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के अंत में निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट मामचन्द वगैरह द्वारा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह के विरूद्ध ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित विवादित आराजी कुल किता 26 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा के सम्बन्ध के एक नियमित वाद (संख्या 1/20/2002) अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह द्वारा रेस्पोडेन्ट

मामचन्द के विरूद्ध वाद संख्या 1/31/2002 अन्तर्गत धारा 88, 89,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें उप खण्ड अधिकारी, रामगढ द्वारा समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 2/8/2003 से रेस्पोडेन्ट मामचन्द वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/20/2002 खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/31/2002 को डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट मामचन्द द्वारा दो पृथक पृथक अपीलें (अपील संख्या 107/2003 एवं 108/2003) राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 20/4/2005 द्वारा स्वीकार कर ग्राम चौरोटी इस्तमुरार तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित विवादित भूमि कुल किता 26 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत 2054 में अंकित हक व हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार, रामगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अपीलार्थीगण नत्था वगैरह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया।

विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने यह मानते हुए कि वादीगण मामचन्द का विवादित भूमि में 2/9 हिस्सा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इस संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया तथा भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी आधार के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व प्रविष्ठियों को परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा काश्त ई एक्स ए–22 से 25 के इन्द्राजात से यह प्रमाणित माना है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण को जागीरदार धाबाई जी गणेशीलाल जी द्वारा काश्त पटटे पर दी गई तथा राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज से विवादित भूमि पर प्रतिवादी नत्था तथा हरजी का कब्जा काश्त होना पाया। अतः तनकी संख्या–1 वादीगण मामचन्द के खिलाफ एवं प्रतिवादी नत्थ्या के पक्ष में तय की गई। तनकी संख्या–2 तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन के आधार पर प्रतिवादी नत्था के पक्ष में और वादी मामचन्द के खिलाफ तय की गई। इसी प्रकार तनकी संख्या–3 यह मानते हुए कि विवादित भूमि पर वादीगण मामचन्द का कब्जा काश्त नहीं है अतएव इसे भी प्रतिवादीगण नथ्या के पक्ष में तय करते हुए मामचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/20 खारिज किया तथा अपीलार्थी नत्था वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/31 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 दिनांक 2/8/2003 को डिक्री करते हुए कुल रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम चौरोटी में नथ्या को 1/3 एवं हरजी को 1/3 हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा सम्वत 2014 की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण मामचन्द, चेतराम, हरदेवा का इन्द्राज निरस्त कर दिया तथा प्रतिवादीगण मामचन्द वगैरह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि वे वादी नत्था एवं हरजी के 1/3–1/3 हिस्से भूमि के कब्जे

काश्त में रूकावट एवं मजाहमत नहीं करें, विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान जो तर्क दिया था कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने और जब्ती जागीर के समय से उनके कब्जे काश्त में रही है और उसी के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग ने उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि की है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2014–33 में विवादित भूमि किता 26 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा नत्था पुत्र परसा हिस्सा 2/9, बुद्धा पुत्र हुक्मा हिस्सा 2/9, मामचन्द एवं चेतराम पुत्रान ख्यालीराम हिस्सा 2/9, हरजी व हरदेव पुत्रान कान्हा हिस्सा 1/3 दर्ज है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लगान की रसीदों के आधार पर यह माना कि इन रसीदों से प्रमाणित रूप से यह नहीं माना जा सकता है कि यह विवादित भूमि 48 बीघा के संबंध में है। विवादित भूमि जिस ग्राम में स्थित है वह जागीर का गांव है तथा जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने पर दिनांक 15/11/1959 को जागीरदार के कृषक भी स्वयं खातेदार हो गये तथा यह मानते हुए कि प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां कब्जे काश्त की स्थित बतलाती है और वह Record of Right नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकरण में सम्वत 2014 के पूर्व में कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबन्दी सॅम्वत 2014–33 में विवादित भूमि गणेशीलाल के नाम भू स्वामी की हैसियत से दर्ज है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट काश्तकार के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि की प्रविष्टियां सम्वत 2014 से लगातार है। इस प्रकार की कोई साक्ष्य भी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उनका कब्जा उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से से अधिक भूमि पर हो।

अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है एवं अपने विस्तृत निर्णय में प्रत्येक तनकी के संबंध में विस्तृत विवेचना की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, स्वीकार्य नहीं है। जहां तक अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का प्रश्न है, यह न्यायालय का विशेषाधिकार है। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इन प्रकरणों पर चस्पा नहीं होते हैं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील में अंकित तथ्यों एवं उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर गौर करने के पश्चात अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत नही मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया गया है। हमारे विनम्र मत में

प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय पूर्णरूपेण विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें स्वीकार होने योग्य नहीं पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/4/2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष